न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, देहरादून

फौजदारी परिवाद संख्या 4212/2022

ऋषि राणा बनाम सुषमा

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता– श्री अभिषेक अग्रवाल

दिनांक 10.03.2025

पुकार करायी गयी। पत्रावली पेश हुई। परिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित है। अभियुक्ता उपस्थित नहीं है।

2. पत्रावली परिवादी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा– 143ए परक्राम्य लिखत अधिनियम दिनांकित 04.11.2024 पर आपत्ति/सुनवाई हेतु नियत है। दिनांक 27.01.2025 को अभियुक्ता को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु न्यायहित में अंतिम अवसर दिया गया था। तत्पश्चात दिनांक 25.02.2025 को भी अभियुक्ता की ओर से आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। आज भी अभियुक्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अतः अभियुक्ता का आपत्ति प्रस्तुत करने/सुनवाई का अवसर समाप्त किया जाता है। तत्पश्चात परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को परिवादी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा– 143ए परक्राम्य लिखत अधिनियम दिनांकित 04.11.2024 पर सुना गया।

3. परिवादी की ओर से एक प्राथर्नापत्र अंतर्गत धारा 143ए परक्राम्य लिखत अधिनियम दिनांकित 04.11.2024 प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया कि उक्त वाद में अभियुक्ता ने अपनी जमानत करा ली है। परिवादी द्वारा चैक की धनराशि का 20 प्रतिशत रूपये दिलाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

4. अभियुक्ता की ओर से उक्त पर पर्याप्त अवसर के उपरान्त भी कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने पर अभियुक्ता का आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

5. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 03.09.2024 को अभियुक्ता के धारा 251 दं0पं0सं0 के बयान अंकित किये गये। चूंकि अभियुक्ता द्वारा धारा 251 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में चैक परिवादी को देने के कथन किये गये हैं तथा निर्दोष होने का कथन करते हुये विचारण चाहा गया है। इस सम्बन्ध में परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 143–क में यह उपबंधित किया गया है कि धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से सम्बन्धित आपराधिक वादों में अभियुक्ता द्वारा

निर्दोष होने का अभिवाक् किये जाने के उपरान्त अंतरिम प्रतिकर के रूप में चैक की राशि के बीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि, अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिये जाने का आदेश पारित किया जाएगा।

7. चूंकि प्रस्तुत मामले में प्रश्नगत चैक की कुल धनराशि मु0 4,80,000/– रूपये है तथा इसका 2 प्रतिशत परिवादी को दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः धारा 143–क परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की उपधारा (1) के अधीन यह आदेश पारित किया जाता है कि अभियुक्त द्वारा आज आदेश के दिनांक से 60 दिवस की अवधि के भीतर प्रस्तुत मामले में चैक की कुल धनराशि मु0 4,80,000/– रुपये का 2 प्रतिशत मु0 9,600/– रुपये परिवादी को अदा किये जायें।

8. अभियुक्ता न्यायालय उपस्थित नहीं है। ना ही अभियुक्ता की ओर से कोई हाजिरीमाफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अभियुक्ता के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी हो।

9. पत्रावली अभियुक्ता की उपस्थिति/परिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक 21.03.2025 को पेश हो।

(भावना पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
देहरादून।